

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल,

Telephone & Fax No.- (0755) 2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/ 664

भोपाल, दिनांक 5/3/21

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश


विषय :- अत्यन्त कम उत्पादन वाले/अलाभकारी कूपों में विदोहन कार्य के संबंध में दिशा-निर्देश बावत्।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/वनिस/उत्पादन/2100 दिनांक 17.07.2015 एवं क्रमांक/3665 दिनांक 26.08.2019

—:0:—

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनिस/उत्पा./2100 दिनांक 17.07.2015 तथा पत्र क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/भाग-5/192/3665, दिनांक 26.08.2019 से जारी दिशा निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए विषयांतर्गत निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. चिन्हांकन के पश्चात, यदि कूप का अनुमानित काष्ठ उत्पादन 20 घ.मी. से कम या केवल जलाऊ हो तो, ऐसे कूपों का विदोहन क्षेत्रीय वनमंडलों द्वारा ही सम्पादित किया जाएगा। क्षेत्रीय वनमंडल द्वारा नियमानुसार विदोहन योजना बनाकर प्रस्तुत की जाएगी एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) द्वारा बजट आवंटन किया जाएगा।
2. इसी प्रकार बांस के अनुउत्पादक क्षेत्र में कूप में विदोहन नहीं कराया जाएगा। यदि कूप में बिगड़े बांस वन का क्षेत्र होगा तो उसका उपचार करने का प्रस्ताव विकास शाखा को प्रस्तुत किया जाएगा।

स. प्र. स.


सं. प्र. स. (0755) 2674354
भोपाल


663

पृ0क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/ 665

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास), म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त वन गंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल



(राजेश श्रीवास्तव)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5/3/21